

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर  
'राजस्थान सरकार का उपक्रम'

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि./अ.अ. (योजना)/प्र. **№ 3 0 2 0 1** दिनांक :

31 OCT 2003


आदेश 1026

विषय : स्पेशल श्रेणी के कृषि कनेक्शन के जारी होने से पूर्व स्थान परिवर्तन के संबंध में।

पूर्व में सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन जारी होने से पूर्व, निगम के आदेश क्रमांक आर.ई.ए. 207 दि. 22.6.2000 पैरा 18 (अ) तथा प्रे. 2381 दि. 13.8.02 (पैरा 18 (अ) में संशोधन) के द्वारा स्थान परिवर्तन की सुविधा प्रदान की गई है परन्तु सामान्य श्रेणी की भांति स्पेशल श्रेणी के कृषि कनेक्शन के जारी होने से पूर्व स्थान परिवर्तन की सुविधा दिये जाने का प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे कुएं में पानी सूखने के कारण कई कृषक स्पेशल श्रेणी में कनेक्शन जारी करवाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं।

अतः कृषकों की कठिनाईयों को देखते हुये समन्वय समिति की "62वीं" बैठक दि. 10.10.2003 में निर्णय लिया गया है कि सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन के जारी होने से पूर्व स्थान परिवर्तन की भांति स्पेशल श्रेणी के कृषि कनेक्शन को भी कनेक्शन जारी होने से पूर्व स्थान परिवर्तन कर दिया जावे। कृषि कनेक्शन जारी होने से पूर्व स्थान परिवर्तन के अन्य प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।



( एम.एल.सैनी )  
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्रीमान् ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. श्रीमान् मुख्य अभियंता (प. व सं./वाणिज्य) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
3. श्रीमान् सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प. व सं., उ.स./झु.स.) अ.वि.वि.नि.लि., उदयपुर/झुंझुनु।
4. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार एवं लेखानियन्त्रक, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
5. श्रीमान् सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
6. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता (प. व सं.), अ.वि.वि.नि.लि., \_\_\_\_\_।
7. उपसचिव (प्रशा.एवं का.), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व/आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि., \_\_\_\_\_।
9. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर
10. श्रीमान् अधिशाषी अभियंता (प.व.सं.) अ.वि.वि.नि.लि., \_\_\_\_\_।

8. वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व/आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि., ————— ।
9. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर
- 10 श्रीमान् अधिशाषी अभियंता (प.व.सं.) अ.वि.वि.नि.लि., ————— ।
11. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
12. निजी सचिव—माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री जी के सूचनार्थ।
13. निजी सहायक, सचिव राजस्थान विद्युत नियामक आयोग, विद्युत भवन, जयपुर।
14. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।



अधीक्षण अभियंता (योजना)